

Kamla
उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहस राजकाय
कार्य में बाध रहने के कारण
कार्य ही नहीं जा सकी
पत्रावली दिनांक 17/12/2020
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहस राजकाय
कार्य में बाध रहने के कारण
कार्य ही नहीं जा सकी
पत्रावली दिनांक 22/12/2020
को पेश हो।

पत्रावली मादि वास्तो आदेश हेतु पेश
हुई। कमील उमयपक्ष से पूर्व पेशी
दिनांक 4/12/2020 को पूर्णता पत्र

वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिविभाग 2007
की धारा 23 पर बंदस सुनी जा चुकी।
ही उमयपक्ष कुमलाय की बंदस को

इमानपूर्वक सुना गया एवं अनन क्रिया

गया। व साथ ही पत्रावली का सावधानी-

पूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त -

Kamla
उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>विवेकन के आधार पर हम इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं की, प्रार्थी एक इस समय एवं वृद्ध व्यक्ति है। जिससे वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम की धारा-23 के तहत अनुतोष दिया जाना (आयुर्वि में इति-आवरणक है) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व उपार्थी सेवका 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जमाव प्रार्थना पत्र व उग्रभक्त कुमुलाय को वरिष्ठ के उपलक्षण परचात प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की धारा-23 के आयुर्वि में स्वीकार किये जाने के जोड़े इस कदम दिये जाते हैं की उपार्थी सेवका 1 व 2 जो की रिस्ते में प्रार्थी के पुत्र हैं, को जोड़े दिये जाते हैं, की वद प्रतिभाद प्रार्थी को उपार्थी सेवका 1 3000 रु. व इति प्रकार उपार्थी सेवका 2 3000 रु. प्रार्थी के SBI बैंक साता नम्बर 51100652465 में प्रतिभाद प्रार्थी के भरण-पोषण व जीवनभरण हेतु जमा करावे, जिससे की प्रार्थी का जीवनभरण सरलतापूर्वक हो सके।</p>

जिला मजिस्ट्रेट एवं सचिव
 बरेilly जिला-जयपुर

न्यायालय हाजा के निर्णय व अपेक्षा
 की प्रति तथीर के साथ आना-अधिकारी
 आना-कार्यवाही को न्यायालय हाजा के
 निर्णय व अपेक्षा की पालना हेतु
 मूलप्रार्थना का व निर्णय की दायिपति
 आविष्ट की हुई गयी जयि।
 पत्रावली संसल सुमार लेकर दर्क
 नम्बर से कम होने पर कासिल
 दफतर है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/2020 को सुले
 न्यायालय व सेवेकालास सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला-जयपुर